न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 75/2022

1 दरिया सिंह पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी बोलियो की ढाणी तन शीथल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सत्यवीर सिंह पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी बोलियो की ढाणी तन शीथल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
2 तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
3 ख्यालीराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी बोलियो की ढाणी तन शीथल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू। दौराने अपील मृतक
3/1 बनारसी पत्नी स्व. ख्यालीराम
3/2 इन्द्रपाल पुत्र स्व. ख्यालीराम
समस्त जाति जाट निवासी बोलियो की ढाणी तन शीथल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।
3/3 किरण पत्नी करणीराम पुत्री स्व. ख्यालीराम
3/4 भतेरी देवी पत्नी सतवीर पुत्री स्व. ख्यालीराम
3/5 सुमित्रा पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्री स्व. ख्यालीराम
समस्त जाति जाट निवासीगण खाखड़ की ढाणी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज. मुकदमा उनवानी सत्यवीर सिंह बनाम ख्यालीराम आदि मु.नं. 61/2019 दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2022

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 61/2019 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर नया 38, 39 व 79 वाके ग्राम शीथल तहसील उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधि को नजरअंदाज कर निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर बहस पारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दावा की प्लींडिग साबित नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दावा को विचारण न्यायालय ने प्राथमिक रूप से डिक्री कर तथ्य व विधि की भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी प्लींडिग को व दस्तावेजी साक्ष्य को साबित नहीं किया है। कानून से साक्ष्य के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दावा खारिज करना चाहिये था। निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर बहस स्पीकींग नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जमीन पर भौतिक कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव में विभाजन का दावा पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलांट का जवाब बन्द करने में कानूनी गलती की गई है। जवाब के क्रम में विचारण न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Misellaneous application no. 665/2021 in SMW(c) no 3 of 2020** में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आदेश के निर्णय के दिये गये निर्देशों की अवहेलना की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के वकील ने विधिवत विभाजन में सहमति नहीं दी है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने सहमति का तथ्य गलत रूप से दर्ज किया है। तथाकथित सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। निर्णय जैर बहस के बाबत विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता को सूचित नहीं किया और ना कोई तारीख पेशी बताई और यह कहा गया कि पत्रावली सीगा में नहीं मिल रही है मिलने पर सूचित किया जावेगा। माह जुन 2022 के प्रथम सप्ताह में पटवारी हल्का ने अपीलांट को निर्णय व प्राथमिक डिक्री के बाबत बताया। जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने भी निर्णय के बाबत जानकारी नहीं होना बताया और यह बताया कि पत्रावली अदालत में लिपिक के पास मिल नहीं रही है। इसके बाद अपीलान्ट के अधिवक्ता ने संबंधित लिपिक व रीडर से जानकारी कर मिसल तलाश करवाई तब दिनांक 10.06.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

2022 को पत्रावली की जानकारी हुई, इस पर नकल लेने के लिए आवेदन किया गया जो दिनांक 13.06.2022 तैयार होकर मिली। तीन दिन का समय अपील तैयार करने में लग गया। इस प्रकार निर्णय व प्राथमिक डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.06.2022 को नकल मिलने पर हुई। बरोज जानकारी अपील अन्द मियाद पेश है। अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अपीलान्ट की अपील में मैरिट है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का काश्तकार पेशा व्यक्ति है। ऐसी सुरत में अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना उचित व आवश्यक है। अपील अपीलांट किसी कारण वश अन्दर मियाद नहीं मान जावे उस सूरत में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद समाहत की जावें। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा वादी को सुनकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली अपीलांट के जवाब दावे में नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा बंद किये बिना वादी एंव प्रतिवादी की साक्ष्य लिये बिना, सुनवाई किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर